by e-mail / DEMAND LETER

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :- 418 / 14-1(FP/UP/Others/ 121957/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक, 09/08/2021।

सेवा में,

श्री सोगिल गर्ग, एडिशन जनरल मैनेजर,
मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, आई0जी0एल0 भवन
प्लाट नं0-4 कम्युनिटी सैंटर, आर0के0पुरम सैक्टर-9
नई दिल्ली,-110022

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से राणा चौक (कि0मी0 चैनेज 102.05 से 113.440) सूजडू चौक से राणा चौक (पी0डब्लू0डी0) कि0मी0 चैनेज 3.000 से 0.000) व चरथावल मोड से पीनना बाईपास (पी0डब्लू0डी0) कि0मी0 चैनेज 71.900 से 69.400) कुल लंबाई 16.890 कि0मी0 में 12" व 8" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.8445 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष की अनुमति के संवंध में (प्रस्ताव संख्या **FP/UP/Others/ 121957/2021**) के संवंध में ।

संदर्भः- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्राक-पी0-108/81- 2-2021-800 (91) /2021 दिनांक-16.07.2021।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक-16.07.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से राणा चौक (कि0मी0 चैनेंज 102.05 से 113.440) सूजडू चौक से राणा चौक (पी0डब्लू0डी0) कि0मी0 चैनेंज 3.000 से 0.000) व चरथावल मोड से पीनना बाईपास (पी0डब्लू0डी0) कि0मी0 चैनेज 71.900 से 69.400) कुल लंबाई 16.890 कि0मी0 में 12" व 8" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.8445 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष की अनुमति के संवंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-16.07.2021 में **उल्लिखित शर्त 09** के अनुपालन में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि का आंकलन निम्नानुसार है-

1- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि					
शर्त संख्या-9	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.8445 है0	626000.00 प्रति है0	**528657.00**	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		योग-		**528657.00**	

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-16.07.2021 में **उल्लिखित शर्त 18(1)** के अनुसार-" सी0एन0जी0 /गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पिनयां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी।" उपरोक्त शर्त संख्या-18 (1) के क्रम में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा अपने पत्रांक-IGL/PNG/Steel /Muzaffarngar / 138 दिनांक-27.07.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा 20 कि0मी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा मोहननगर चौराहे से माहमाया स्टेशन तक तथा हापुड चुंगी से डासना पुलिस चौक तक गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति परियोजना में पूर्व में ही किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में संबंधित अभिलेख मय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद का पत्रांक-74/22-1 दिनांक-03.07.2010 का डिमाण्ड नोट जिसमें उक्त 020 कि0मी0 03 लाईनों में वृक्षारोपण की धनराशि की मांगी गयी है, भी डिमाण्ड नोट के साथ संलग्न है।

क्रमश.........2

अतः उपरोक्तानुसार शर्त संख्या—18 के क्रम में पुनः धनराशि वांछित नहीं है, क्योंकि शर्त के अनुसार इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण की शर्त को पूर्ण की जा चुकी है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या—9 के अनुपालन में 0.8445 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रूपये**—528657.00 (रूपये पांच लाख अट्ठाई हजार छः सौ सत्तावन मात्र), प्रयोक्ता एजेंसी के ई—पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से** कैम्पा फण्ड में **नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए, उक्त धनराशि जमा कराने का कष्ट करें** तथा साथ ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 16.07.2021 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या—1 से 19 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताऐं इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 418 /14-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2—वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।